संख्या-15/2024/I/749896/38-4099(99)/29/2024

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांकः 24 सितम्बर, 2024

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय निगरानी समितियों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-185/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2024-25, दिनांक-12.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन, मुख्यतः अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स के दृष्टिगत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों में कतिपय अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-17/2017/562/38-4-17-14(विविध)/2016 टीसी-1, दिनांक-30 जून, 2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की गाईडलाइन्स के प्रस्तर-3.6.1 एवं 3.6.2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गठित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

<u>राज्य स्तरीय निगरानी समिति</u>:-

वर्तमान व्यवस्था		**एतद्द्वारा संशोधित व्यवस्था**	
1- अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	1- अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- उपाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।	2- उपाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सदस्य	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, प्रमुख सचिव,	3- सदस्य	(i) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, क्षेत्रीय प्रबंधक, हडको, अपर आयुक्त (पी0एम0ए0वाई0-जी0), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 एवं अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विका, उ0प्र0।		(ii) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, (iii) प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, (iv) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, (v) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, (vi) मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, (vii) ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, (viii) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, (ix) क्षेत्रीय प्रबंधक, हडको, (x) स्टेट नोडल आफिसर (पी0 एम0ए0वाई0-जी0), ग्राम्य विकास, उ0प्र0। (xi) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- सचिव	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।	4- सचिव	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

<u>जिला स्तरीय निगरानी समिति:-</u>

वर्तमान व्यवस्था		**एतद्द्वारा संशोधित व्यवस्था**	
1- अध्यक्ष	जिलाधिकारी।	1- अध्यक्ष	जिलाधिकारी।
2- उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी।	2- उपाध्यक्ष	मुख्य विकास अधिकारी।
3- सदस्य	जिला विकास अधिकारी, वित्त नियंत्रक (डी0आर0डी0ए0), जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित एक ब्लाक प्रमुख, एल0डी0एम0,	3- सदस्य	(i) जिला विकास अधिकारी, (ii) वित्त नियंत्रक (डी0आर0डी0ए0)/कोषाधिकारी, (iii) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी।		(iv) जिला पूर्ति अधिकारी, (v) जिला पंचायत राज अधिकारी, (vi) जिला सांख्यिकी अधिकारी, (vii) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक ब्लाक प्रमुख, (viii) एल0डी0एम0, (ix) जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
4- सचिव	परियोजना निदेशक।	4- सचिव	परियोजना निदेशक।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुखलाल भारती,
सचिव।

संख्या-15/2024/749896(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ।
(9) मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, गोमती नगर, लखनऊ।
(10) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
(11) क्षेत्रीय प्रबंधक, हडको, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
(12) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
(13) स्टेट नोडल ऑफिसर (पी0एम0ए0वाई0-जी0), ग्राम्य विकास उ0प्र0।
(14) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(15) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(16) समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
(18) समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी, उ0प्र0।
(19) समस्त वित्त नियंत्रयक (डी0आर0डी0ए0)/कोषाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
(20) समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(21) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।